न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट सरमथुरा जिला धौलपुर

पीठासीन अधिकारीः- श्री मौहम्मद ताहिर आर.ए.एस.

उनवान

सन्तोष बनाम ज्वाला वगैरा

1.. सन्तोष पुत्र श्री शिवचरन जाति धोबी निवासी महाराज का ताल बिजली घर के पास, सरमथुरा जिला धौलपुर

--वादी

बनाम

1. ज्वाला पुत्र पांचिया
2. परषोत्तम पुत्र पांचिया
3. ल्हौरिया पुत्र पांचिया जाति धोबी निवासीगण मौहल्ला धोबीपाडा ग्राम पंचायत भवन के पास, सरमथुरा
4. रामकली वेवा शिवचरन
5. गुट्टी पुत्र शिवचरन
6. राजेन्द्र पुत्र शिवचरन
7. दम्मो उर्फ दामोदर पुत्र शिवचरन जाति धोबी निवासीगण महाराज का ताल बिजली घर के पास, सरमथुरा
8. नर्वदा पत्नि राजेश पुत्री शिवचरन
9. निर्मला पत्नि कुंवरसिंह पुत्री शिवचरन
10. धर्मेन्द्र पुत्र रामभरोसी
11. राहुल पुत्र रामभरोसी
12. दीपू पुत्र रामभरोसी
13. शारदा पुत्री रामभरोसी
14. शीतलदेई पुत्री रामभरोसी
15. शीला पुत्री रामभरोसी जाति धोबी निवासीगण महाराज का ताल बिजली घर के पास, सरमथुरा हाल आबाद नई अवधेशपुरी कॉलोनी कमला नगर, मुर्गीफार्म हाऊस के पास, आगरा(यू.पी.)
16. प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक शाखा सरमथुरा
17. वहैसियत भू स्वामी तहसीलदार सरमथुरा जिला धौलपुर।

--प्रतिवादीगण

उपस्थिति वकील वादी :- श्री सुरेश श्रीवास्तव एड.

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट.

प्रकरण संख्याः- 01/2016

दिनांकः- 29.6.2018

निर्णय

दावा वादीगण इस प्रकार पेश हुआ कि वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 540 रकबा 0.37हैक्टे., 541 रकबा 0.40हैक्टे., 602 रकबा 0.13हैक्टे. 6.03 रकबा 0.13हैक्टे. 631 रकबा 0.04हैक्टे., 632 रकबा 0.16हैक्टे. 683 रकबा 0.57हैक्टे.

685 रकबा 0.09हैक्टेयर कुल किता-8 कुल रकबा 1.89हैक्टेयर वाके ग्राम सरमथुरा-1 तहसील सरमथुरा में स्थित है जो दावा मे वादग्रस्त है।

उपरोक्त विवादित आराजी के पूर्व के खातेदार काश्तकार पन्ना पत्र सामलिया जाति धोबी निवासी सरमथुरा थे जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं.4 लगायत 15 के पूर्व पुरूष थे। शिवचरन व श्रीपति दोनों पन्ना के पुत्र हैं। पन्ना ने अपनी वृद्धास्था में उक्त विवादित आराजी को अपने दोनो पुत्रों के मध्य बंटवारा कर दिया था जिसमें पन्ना ने शिवचरन के हिस्से में कोटिया वाले दो खेत ख.नं.पुराना 1966 नया 683 रकबा 0.57हैक्टेयर व ख.नं. पुराना 1976/3 नया 685 रकबा 0.09हैक्टे. एवं टूंकरी वाले खेत ख.नं.पुराना 1902 नया 632 रकबा 0.16हैक्टे. व ख.नं. पुराना 1903 नया 631 रकबा 0.04हैक्टे. कुल किता 4 में हिस्सा दिया था एवं इसी प्रकार से श्रीपति के हिस्से में दो खेत कढेरे वाले जिनका ख.नं.पुराना 1889 नया 541 रकबा 0.40हैक्टे., ख.नं.पुराना 1890 नया 540 रकबा 0.37हैक्टे. एवं दो खेत तीर वाले जिनका ख.नं.पुराना 1894 नया 602 रकबा 0.13हैक्टे. व ख.नं.पुराना 1895 नया 603 रकबा 0.13हैक्टेयर कुल किता 4 दिया था। इसी प्रकार पन्ना ने अपने जीवन के अन्तिम समय में भविष्य में बंटवारे को लेकर कोई विवाद नहीं हो इसीलिये अपनी पूर्ण जायदाद एवं उक्त विवादित आराजी को अपने दोनो पुत्रों के हक में बंटवारा कर दिया एवं बंटवारे के अनुसार ही शिवचरन व श्रीपति को मौके पर काबिज करा दिया था। पन्ना ने अपनी जायदाद के बंटवारे बाबत एक बंटवारानामा लिखित में तहरीर करवाया था जिस पर स्वयं पन्ना ने शिवचरन व श्रीपति ने और गवाहान ने अपने-अपने हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी किये थे। वक्त बंटवारा जायदाद से शिवचरन व श्रीपति उक्त विवादित आराजीयात में अपने-अपने हिस्से में आये खेतों पर काबिज हुए और इसी प्रकार काबिज होकर लगातार काश्त की। शिवचरन की कुछ वर्ष पूर्व मृत्यु हो चुकी है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4लगायत 15 शिवचरन के वारिसान हैं। शिवचरन की मृत्यु के बाद वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4लगायत 15 शिवचरन के हिस्से में आयी उपरोक्त विवादित आराजी पर काबिज हुए व लगातार बिना किसी विघ्न-बाधा के काश्त करते चले आ रहे है।

पन्ना की मृत्यु के पश्चात राजस्व रिकॉर्ड में पन्ना के वारिसान शिवचरन व श्रीपति का नाम उपरोक्त विवादित आराजी पर बतौर खातेदार काश्तकार संयुक्त रूप से दर्ज हो गया परन्तु उक्त बंटवारानाम के मुताबिक शिवचरन व श्रीपति ने राजस्व रिकॉर्ड में अपनी उपरोक्त विवादित आराजीयात का बंटवाराकराकर अपने-अपने खेत अलग-अलग नहीं कराये और उक्त विवादित आराजीयात संयुक्त रूप से सामलात खाते में दर्ज होती रही। परन्तु मौके पर शिवचरन व श्रीपति का बंटवारे के मुताबिक अलग-अलग कब्जा रहा।

श्रीपति ने अपने कब्जे शुदा बंठवारे में आयी अपने हिस्से की आराजी को सन 2001 में प्रतिवादी 1लगायत 3 के हक में विक्रय कर दिया और मौके पर अपने कब्जे काश्त की आराजी पर कब्जा करा दिया और बयनामे के आधार पर प्रतिवादी 1लगायत 3 का राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज भी हो गया। प्रतिवादी 1लगायत 3 श्रीपति के विक्रय करने के पश्चात से श्रीपति के हिस्से व कब्जे काश्त की उपरोक्त विवादित आराजी पर काबिज होकर आज तक लगातार काश्त कर रहे है।

श्रीपति के उपरोक्त आराजी के विक्रय कर देने के पश्चात वादी ने प्रतिवादी 1लगायत 3 से उपरोक्त विवादित आराजी का बंटवारा करने के लिये कई बार कहा लेकिन प्रतिवादीगण तैयार नहीं हुए तथा दिनांक 25.10.2015 को वादी अपने

हिस्से के खेतों पर काम कर रहा था तो प्रतिवादीगण आये और धमकी दी कि हम तुम्हारे कब्जे काश्त के खेत में से खेत लेंगे और तुम्हे तुम्हारे कब्जे काश्त आराजी में से बेदखल कर देंगे। तब वादी ने कहा है कि हमारा बंटवारा बहुत पहले की हो चुका था और तुमने श्रीपति से बंटवारा शुदा तथा उसके कब्जे की आरीज को ही खरीदा है इसलिये हम तुम्हें यहाँ से खेत नहीं देंगे। इस पर प्रतिवादीगण ने वादी को लट्ठ के बाल पर बेदखल करने तथा बिना बंटवारा कराये उपरोक्त विवादित आराजी को किसी दीगर व्यक्ति को विक्रय करने की धमकी दी। प्रतिवादी 4लगायत 15 इस समय दावा पर हस्ताक्षर करने के लिये उपस्थित नहीं हैं इसलिये उनको इस दावा तरतीवी पतिवादी बनाया गया है तथा उनके हम में भी बंटवारे की डिक्री चाहिये। वादी एवं प्रतिवादी 1लगायत 15 को एक ही खाते में संयुक्त रखा जावे।

उपरोक्त परिस्थिति में वादी के लिये यह आवश्यक हो गया कि है कि वह न्यायालय श्रीमान के समक्ष दावा दायर कर विवादित आराजीयात का बंटवारा कब्जा अनुसार करावे तथा प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे। प्रतिवादी सं. 16 लगायत 17 पक्षकार होने के कारण पक्षकार मुकदमा बनाया गय है जिनके खिलाफ कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है।

अतः वादी ने निवेदन किया है कि–

1. विवादित आराजी जिसका विवरण वादपत्र में किया गया है का बंटवारा पूर्व के बहामी बंटवारे के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4लगायत 15 के हिस्से आराजी ख.नं. पुराने 1966 नया 683, पुराना 1976 नया 685, पुराना 1902 नया 632 व पुराना 1903 नया 631 कुल किया 4 को कायम कर हमारा संयुक्त रूप से पृथक खाता किया जावे तथा प्रतिवादी 1लगायत 3 के हिस्से में पूर्व के वाहमी बंटवारे के अनुसार आ.ख.नं. पुराना 1889 नया 541, पुराना 1890 नया 540, पुराना 1894 नया 602 व पुराना 1895 नया 603 कुल किता 4 को कायम कर प्रतिवादी संख्या 1लगायत 3 का खाता व लगान पृथक से कायम कराया जावे। इसी प्रकार से विवादित आरजी का बंटवारा कराया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज कराया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण 1लगायत 3 बाद तामील सम्मन उपस्थित हुए शेष प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहे जिनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाह अमल में लाई गई। उपस्थित प्रतिवादीगण द्वारा जरिये वकील जयसिंह मीना एडवोकेट जवाब दावा प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार–

वादपत्र के अनुसार प्रतिवादीगण 1लगायत 3 सह खातेदार है तथा 1/2 हिस्से के हिस्सेदार है। वादीगणों से खरीदी हुई जमीन सह खातेदारी की भूमि है। हमारा आज तक कोई वाहमी बंठवारा लिखित या मौखिक रूप से वादी से नहीं हुआ है तथा वादीगणों से किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। कभी भी किसी प्रकार का बंटवारा सम्बन्दी लिखा पढी नहीं हुई है। वादी एवं प्रतिवादीगण मौके पर शामिल काश्त है। श्रीपति से अपनी सारी हिस्से की आराजी को प्रतिवादी 1लगायत 3 ने खरीदा था व आज भी संयुक्त रूप से काश्त करते चले आ रहे है। यह बात गलत है कि प्रतिवादीगण से वादीगणों ने बंटवारा किया हो तथा दिनांक 25.10.2015 को कोई जमीनी विवाद हुआ हो। यह कतई गलत है। वादी व प्रतिवादीगण का बंटवारा बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स किया जावे। प्रतिवादीगण ने निवेदन किया है कि वादी व प्रतिवादीगण के मध्य पूर्व में कोई विभाजन नहीं हुआ है तथा सह खातेदार काश्तकार

है। बंटवारे सम्बन्धी बंटवारे सम्बन्धी दस्तावेजातों पर हस्ताक्षर ही हैं तथा वादी व प्रतिवादीगण के मध्य बंटवारा अच्चे में से अच्छा व बुरे में से बुरा कर दिया जावे। इसमें प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड एवं राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली एवं राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी का दावा डिक्री किये जाने योग्य है। ऐसी स्थिति में दावा प्राथमिक डिक्री किया जाकर भूमिधारी तहसीलदार सरमथुरा से कुर्रेजात प्रस्ताव मंगवाये गये। जो राजस्व शिविर सरमथुरा में प्राप्त हुए। तहसीलदार सरमथुरा से प्राप्त कुर्रेजात के अनुसार दावा डिक्री किये जाने में वादी पक्ष द्वारा अपनी सहमति व्यक्त की गई। उभय पक्ष द्वारा दी गई सहमति एवं तहसीलदार, सरमथुरा से प्राप्त कुर्रेजात प्रस्ताव के आधार पर निम्नानुसार अन्तिम डिक्री किया जाकर वादी व प्रतिवादीमण के नाम तदनुरूप रिकॉर्ड पट3वार ग्राम सरमथुरा पटवार मण्डल सरमथुरा-I में खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं -

1. सन्तोष पुत्र श्री शिवचरन जाति धोबी निवासी महाराज का ताल बिजली घर के पास, सरमथुरा जिला धौलपुर

ख.नं.	रकबा	किस्म
683/1	0.12	वारानी प्रथम (पूर्वी भाग)
किता-1	0.12	

2. ज्वाला पुत्र पांचिया, परषोत्तम, ल्हौरिया पुत्रगण पांचिया हि.बराबर जाति धोबी निवासीगण मौहल्ला धोबीपाडा ग्राम पंचायत भवन के पास, सरमथुरा

ख.नं.	रकबा	किस्म
541	0.40	वारानी प्रथम
540	0.37	वारानी प्रथम
603	0.13	चाही प्रथम
602/1	0.05	वारानी प्रथम (दक्षिणी भाग)
किता-4	0.95	

3. रामकली पत्नि शिवचरन,गुट्टी, राजेन्द,दम्मो उर्फ दामोदर पुत्रगण शिवचरन नर्वदा, निर्मला पुत्रीयान शिवचरन हिस्सा 6/7 जाति धोबी निवासीगण महाराज का ताल बिजली घर के पास, सरमथुरा धर्मेन्द्र, राहुल, दीपू पुत्रगण रामभरोसी, शारदा, शीतलदेई, शीला पुत्रीयान रामभरोसी हिस्सा बराबर हिस्सा 1/7 जाति धोबी निवासीगण महाराज का ताल बिजली घर के पास, सरमथुरा हाल आबाद नई अवधेशपुरी कॉलोनी कमला नगर, मुर्गीफार्म हाऊस के पास, आगरा(यू.पी.)

ख.नं.	रकबा	किस्म
631	0.04	वारानी प्रथम
632	0.16	वारानी प्रथम
685	0.09	वारानी सोयम
683/2	0.45	वारानी प्रथम (पश्चिमी भाग)
602/2	0.08	वारानी प्रथम (उत्तरी भाग)
किता-5	0.82	

उक्तानुसार बंटवारे के पृथक पृथक खाते व लगान कायम कर राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज दर्ज किये जावें तथा नक्शा अक्श में नियमानुसार तरमीम कर पृथक पृथक खसरा नम्बर डाले जावें। विभाजन प्रस्ताव व नक्शा अक्श डिक्री का जुज रहेगा।

मुद्रांक कर अधिनियम से शेड्यूल व आर्टीकल 42 के तहत मुद्रांक जमा कराया जावे। उपरोक्तानुसार डिक्री जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.6.2018 को कोर्ट कैम्प में सुनाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

उप जिला मजिस्ट्रेट
सरमथुरा